

अधिसूचना सं. 61/2010 [एफ. सं. 178/142/2009-आईटी (ए-आई), दिनांक 22-7-2010]

चूंकि केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 80-आईए की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 193(ई), दिनांक 30 मार्च, 1999 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए और एस.ओ. 354(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना तैयार और अधिसूचित की है; 193(ई), दिनांक 30 मार्च, 1999 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए और एस.ओ. 354(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के अंतर्गत 1 अप्रैल, 1997 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना तैयार और अधिसूचित की है;

और चूंकि मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 508, गुंडेचा चैंबर, नागिंदास मास्टर रोड, फोर्ट, मुंबई - 400023 में है, कॉर्पोरेट सेंटर आईटी पार्क, कॉर्पोरेट सेंटर, सीटीएस संख्या 271, ग्राम कोंडिवते, अंधेरी (ई), मुंबई - 400059 में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है;

और चूंकि केंद्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 15/31/2004-आईपी&आईडी, दिनांक 2-12-2004 के अंतर्गत और बाद में पत्र संख्या 15/31/2004-आईपी&आईडी, दिनांक 5-5-2005 के अंतर्गत संशोधित करते हुए, इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 80-आईए की उपधारा (4) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा विकसित किए जा रहे और रखरखाव एवं संचालित किए जा रहे उपक्रम को उक्त खंड (iii) के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में अधिसूचित करती है।

अनुलग्नक

मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान करने की नियम और शर्तें कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

1. (i) औद्योगिक उपक्रम का नाम : कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
- (ii) प्रस्तावित स्थान : कॉर्पोरेट सेंटर आईटी पार्क, कॉर्पोरेट सेंटर, सीटीएस संख्या 271, ग्राम कोंडिवते, अंधेरी (ई), मुंबई - 400059
- (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्रफल : 14203.08 वर्ग मीटर
- (iv) प्रस्तावित गतिविधियां :

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधि की प्रकृति

		एनआईसी कोड		विवरण
क्रम संख्या	अनुभाग	प्रभाग	समूह वर्ग	
क	8	89	892	- डेटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
ख	8	89	893	- व्यावसायिक और प्रबंधन परामर्श गतिविधियां
ग	8	89	894	- वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियां
घ	3	36	367	- कंप्यूटर और कंप्यूटर आधारित सिस्टम का निर्माण

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत : नब्बे प्रतिशत
- (vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए निर्धारित आवंटन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत : दस प्रतिशत
- (vii) औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या : छत्तीस इकाइयां
- (viii) कुल प्रस्तावित निवेश (रुपये में राशि) : रु. 23,95,00,000
- (ix) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान पर निवेश (रुपयों में राशि) : रु. 14,00,00,000
- (x) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान के निवेश सहित अवसंरचना विकास पर निवेश (रुपयों में राशि) : रु. 18,39,16,310
- (xi) औद्योगिक पार्क के आरंभ की प्रस्तावित तिथि : 22-1-2004

2. औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के पचास प्रतिशत से कम नहीं होगा।

औद्योगिक पार्क के मामले में जो औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित स्थान प्रदान करता है, औद्योगिक स्थान के निर्माण की लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम व्यय कुल परियोजना लागत के साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में सड़कें (संपर्क सड़कों सहित), जल आपूर्ति और सीवरेज, सामान्य अपशिष्ट उपचार सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, विद्युत उत्पादन और वितरण, वातानुकूलन और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी जो औद्योगिक गतिविधि के लिए सामान्य उपयोग हेतु हैं जो पहचान योग्य हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं।

4. एस.ओ. 354(ई), दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में दी गई तालिका के कॉलम (2) में निर्दिष्ट कोई भी एकल इकाई औद्योगिक पार्क के आवंटन योग्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा नहीं करेगी और इस प्रयोजन के लिए इकाई का अर्थ एक या अधिक राज्य या केंद्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई भी अलग और विशिष्ट इकाई होगी।

5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिज़र्व बैंक या वर्तमान में लागू किसी भी कानून के तहत निर्दिष्ट किसी भी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या अनिवासी भारतीय निवेश के लिए आवश्यक अनुमोदन सहित, लागू नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिए जाएंगे।

6. अधिनियम के तहत कर लाभ केवल इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ (vii) में इंगित इकाइयों की संख्या औद्योगिक पार्क में स्थित होने के बाद ही उठाए जा सकते हैं।

7. एम/एस। मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, उस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क का संचालन जारी रखेगा जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए की उपधारा (4) के खंड (iii) के तहत लाभ प्राप्त किए जाने हैं।

8. यदि इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1, उप-पैराग्राफ (xi) में इंगित तिथि से औद्योगिक पार्क के आरंभ में एक साल से अधिक की देरी होती है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईए की उपधारा (4) के खंड (iii) के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क योजना, 2002 या कोई अन्य लागू औद्योगिक पार्क योजना के तहत नई स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

9. अनुमोदन अमान्य होगा और मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, ऐसी अमान्यता के किसी भी परिणाम के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा, यदि:

- (i) जिस आवेदन के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है उसमें गलत जानकारी या गलत सूचना है या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई है;
- (ii) यह औद्योगिक पार्क के उस स्थान के लिए है जिसके लिए पहले से ही किसी अन्य उपक्रम के नाम पर अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

10. यदि मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई औद्योगिक पार्क के संचालन और रखरखाव को (अर्थात्, स्थानांतरणकर्ता उपक्रम) किसी अन्य उपक्रम (अर्थात्, स्थानांतरणग्राही उपक्रम) को स्थानांतरित करता है, तो स्थानांतरणकर्ता और स्थानांतरणग्राही संयुक्त रूप से उद्यमशीलता सहायता इकाई, औद्योगिक सहायता सचिवालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 को उपर्युक्त स्थानांतरण के लिए स्थानांतरणकर्ता और स्थानांतरणग्राही उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की प्रति के साथ सूचित करेंगे।

11. इस अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ औद्योगिक पार्क योजना, 2002 में शामिल शर्तों का उस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए जिसके लिए इस योजना के तहत लाभ प्राप्त किए जाने हैं।

12. केंद्र सरकार उपरोक्त अनुमोदन वापस ले सकती है यदि मेसर्स कृष्णा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, किसी भी शर्त का पालन करने में असफल रहता है।

13. केंद्र सरकार की अनुमति के बिना परियोजना योजना का कोई भी संशोधन या भविष्य में पता चलना, या आवेदक की ओर से किसी महत्वपूर्ण तथ्य को प्रकट करने में असफलता, औद्योगिक पार्क की अनुमति को अमान्य कर देगी।

■ ■